



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31012026-269720
CG-MH-E-31012026-269720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]
No. 69]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 12 जनवरी, 2026

फा. सं. सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं.एस7656/07-12-000/2025-26.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में “दी असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि.” को सम्मिलित किए जाने का निर्देश देता है।

आर लक्ष्मी कांत राव, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./644/2025-26]

RESERVE BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th January, 2026

F. No. CO.DOR.RAUG.No.S7656/07-12-000/2025-26.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of “The Assam Co-operative Apex Bank Ltd” in the Second Schedule to the said Act.

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./644/2025-26]